3887/07
9/7/07

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर, जिला भोपाल

प्र0क0 / 111 / अ–2 / 2006–07
ग्राम भौंरी तहसील हुजूर भोपाल

संजीव सोती सचिव कल्यान शिक्षण
समिति तृप्ति हास्पिटल गुफा मंदिर
रोड लालघाटी चौराहा भोपाल---आवेदक

विरूद्व

म0प्र0शासन---अनावेदक

(अंतर्गत मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 व 172)

आदेश
(पारित दिनांक 04/07/2007)

आवेदक संजीव सोती सचिव कल्यान शिक्षण समिति तृप्ति हास्पिटल गुफा मंदिर रोड लालघाटी चौराहा भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत अपने स्वत्व की भूमि स्थित भौंरी खसरा नंबर 38–48 / 2 / 1, रकवा 1.234 हे0 तथा 38,48 / 2 / 1 रकवा 2.833 हे0 कुल रकवा 4.18 हे0 आवासीय प्रयोजन के डायवर्सन हेतु प्रस्तुत किया है। आवेदन में यह दर्शाया है कि पूर्व में 38,48 / 2 में सें 2.50 एकड़ अर्थात 1.00 हे0 निर्धारण हो चुका है राशि जमा हो चुकी है।
2 / –आवेदक द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है।

- रजिस्टर्ड विकय पत्र की छायाप्रति।
- कार्यालस संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र जिला भोपाल के प. क्र. 1577 / एल.यू. / भू.उ. / नग्रनि / जिका 254 / 2005 दिनांक 17.5.06 की छायाप्रति ।
- खसरा व अक्स की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति।
- शपथ पत्र
- प्रस्तावित ले–आउट प्लान

3 / –उपरोक्त दस्तावेजों एंव पटवारी द्वारा प्रस्तुत स्वत्व स्थल जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया जिसके अनुसार निम्नांकित स्थिति बनती है।

अ. प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के भूमि स्वामी स्वत्व पर चालू वर्ष में राजस्व अभिलेख में दर्ज होना पाया जाता है।

ब– नगर एंव ग्राम निवेश द्वारा जारी पत्र क्र. 1577 दिनांक 17.5.06 अनुसार प्रश्नाधीन भूमि का अभिन्यास शैक्षणिक प्रयोजन हेतु अनुमोदित है।

स– अधीक्षक भू–अभि(डायवर्सन) द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन भूमि का शैक्षणिक उपयोग के लिए व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी
तह. हुजूर भोपाल

निरन्तर-----------2

COURT FEE
भारत INDIA
TWO RUPEES

4. पूर्व में प्र0क0269/अ-2-अ/05-06 में धारा 59(2) के अंतर्गत हुए पुर्न निर्धारण आदेश की प्रति पेश की गई जिसके अनुसार खसरा नबंर 38, 48/2 मे सें 250 एकड़ रकवा में 2005 से 2006 तक के लिए प्रीमियम 15309=00 पुनः निंधारण 7142=00 रूपया तथा उपकर 3571=00 रूपया निर्धारित किया गया था।

5. अब संयुक्त संचालक नगर निवेश 1577/एल.यू./भू0उ0/न0ग्रा0 नि0/जि0 का0/254/2005 दिनांक 17.5.06 द्वारा उक्त भूमियों का शैक्षणिक प्रयोजन हेतु अभिन्यास अनुमोदित है।

6. अधीक्षक डायर्सन ने पूरी भूमि खसरा नबरं 10.04 एकड़ का पुर्न निर्धारण 28,454/-उपकर 14227/-,वर्ष05-06 से देय प्रीमियम 609930/- रूपया प्रस्तावित किया है ।

7. अतःम0प्र0भू0रां संहिता 1959 की धारा 172(1) एंव इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत आवेदक ग्राम भौरी तहसील हुजर भोपाल भूमि खसरा 38-48/2/1, 38-48/2/2 रकवा कमशः 1.234 हे0, तथा 2.834 हे0, कुल 10.04 एकड़ कुल 4.06 हे0 (संलग्न अनुमोदित अभिन्यास अनुसार जो आदेश का भाग होगा) भूमि का शैक्षणिक उपयोग के लिये प्रश्नाधीन भूमि पर पुनःनिर्धारण रूपये 28,454/- (अठाईस हजार चार सौ चउवन रू.)वर्ष 2005-06 से पंचायत उपकर 14,227/-(चौदह हजार दौ सौ सत्ताईस रूपये मात्र) वर्ष 2005-06 से लगातार देय एंव नगर निगम सीमा के बाहर स्थित होने से प्रीमियम राशि 6,09,930/- (छः लाख नौ हजार नौ सौ तीस मात्र) अधिरोपित किया जाता है पूर्व में धारा 59(2) के अन्तर्गत अधिरोपित प्रीमियम डायवर्सन व उपकर की राशि उक्त निर्धारण में समयोजित मान्य होगी । तथा जमा की गई राशि का समायोजन करते हुए शेष बकाया राशि जमा कराई जावेगी। तथा निम्नलिखित समस्त शर्तो के पालन करने की अनिर्वायता के साथ शैक्षणिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन स्वीकृत किया ज़ाता हैः-

7.1 प्रश्नाधीन भूमि का विकास कार्य करने से पूर्व संबधित सभी विभागों से आवश्यक अनुमतियॉ लेनी होगी। अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार मार्ग/खुली भूमि/वृक्षारोपण / निम्न घनत्व आदि के लिये स्थल पर रिक्त भूमि छोड़नी होगी।अनुमोदित अभिन्यास के साथ उल्लेखित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

7.2 भू-अर्जन की स्थिति में कृषि दर से मुआवजा लेना होगा।

7.3 स्थल पर विकास करते समय सार्वजनिक स्वास्थ्य,लोक न्यूसेन्स बस्ती व आसपास के रहवासियों की सुविधा एवं सुनिश्चित करना अनिवार्यता होगा।

7.4 निर्माण कार्य तीन वर्ष के अन्दर करना अनिवार्य होगा।

7.5 पुनःनिर्धारण राशि प्रतिवर्ष समय से जमा करना अनिवार्य होगा।

7.6 प्रीमियम राशि एक मुश्त समयावधि में शासकीय कोषालय में जमा कर चालान की मूलप्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी।

7.7 उपरोक्त उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने,भू अर्जन होने या किसी प्रकार के स्वत्व विवाद की स्थिति में व्यपवर्तन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावे ।

सबंधित पटवारी तदनानुसार राजस्व अभिलेख में अमल करें।

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर,भोपाल

सत्य प्रतिलिपि

PHOTO COPY ATTESTED
15-3-11
RAVINDRA KUMAR STHAPAK
NOTARY, BHOPAL